महत्वपूर्ण एवं खास

तहसीलदार ने संशोधित कर जारी किया कारण बताओ नोटिस

रायगढ़ । तहसीलदार रायगढ़ गगन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय तहसीलदार रायगढ़ के मामला क्रमांक 202203040100004 में दिनांक 9 मार्च 2022 को जारी कारण बताओ नोटिस टंकण त्रुटिवश शिव मंदिर को जारी हो गया था। प्रकरण में शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्राप्त होने पर न्यायालय तहसीलदार रायगढ़ द्वारा उक्त जारी नोटिस को शिथिल करते हुए शिव कुमार मालाकार पिता लाभोराम को संशोधित नोटिस जारी किया जा चुका है। इस तरह प्रकरण में अवैध कब्जाधारियों को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुए संहिता में दिए प्रावधानों के तहत प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

'परीक्षा पे चर्चा' का पांचवां संस्करण 1 अप्रैल को

रायगढ़ । केन्द्रीय विद्यालय, रायगढ़ के प्राचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के पांचवें संस्करण का आयोजन 1 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पूर्वान्ह 11 बजे से टाउन हॉल इंटरएक्टिव फार्मेट में होगा। उक्त कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन, रेडियो चैनल, युट्युब चैनल सहित डिजिटल मीडिया, माई जीओभी इंडिया, डीडी न्यूज, राज्य सभा टीवी, स्वयंप्रभा आदि पर किया जाएगा। इस संबंध में प्रधानमंत्री देशभर के छात्रों से परीक्षा के संबंध में चर्चा करेंगे।

राज्य स्तरीय जनजातीय कला एवं चित्रकला प्रतियोगिता 19 से 21 अप्रैल तक

रायगढ़ । आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर द्वारा 19 से 21 अप्रैल 2022 तक तीन दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय कला एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक प्रतिभागी 8 अप्रैल 2022 तक पंजीयन फार्म ई-मेल ntlf.trtirpr@gmail.com अथवा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय, रायगढ़ में उपस्थित होकर जमा कर सकते है। उक्त प्रतियोगिता रायपुर के साइंस कालेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगा। जनजातीय चित्रकला प्रतियोगिता 3 आयु वर्ग में होगी। प्रतियोगिता का आयोजन 12 से 18 वर्ष, 18 से 30 वर्ष और 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में होगी। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय, रायगढ़ में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर संपर्क कर सकते है।

छात्रावास में भोजन एवं स्वल्पाहार व्यवस्था के लिए 11 अप्रैल जमा कर सकते है निविदा

रायगढ़ । कार्यालय क्षेत्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, रायगढ़ के छात्रावास में भोजन एवं स्वल्पाहार व्यवस्था करने हेतु फर्म, केटर्स, समिति व स्व-सहायता समूह से वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लिए मोहर बंद निविदा आमंत्रित किया गया है। निविदा विक्रय की अंतिम तिथि 7 अप्रैल शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 11 अप्रैल अपरान्ह 3 बजे तक एवं निविदा उसी दिन शाम 4 बजे खोली जाएगी। निविदा प्रपत्र कार्यालय में 500 रुपये का डीडी प्राचार्य सचिव प्रशिक्षण केन्द्र रायगढ़ के नाम जमा कर प्राप्त कर सकते है। निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी/नियम शर्तें कार्यालय के सूचना पटल पर कार्यालयीन दिवस एवं समय में अवलोकन कर सकते है।

निर्माण कार्यों का एसडीएम करें निरीक्षण : कलेक्टर

❒ कलेक्टर सिंह ने ली समय-सीमा की बैठक

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने आज समय-सीमा की बैठक ले कर प्रशासनिक काम काज की समीक्षा की। उन्होंने जिले में चल रहे निर्माण कार्यों के संबंध में सभी एसडीएम को समय-समय पर इन निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण कर काम की गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सिंह ने बैठक में गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट निर्माण और उसकी बिक्री और समूहों के भुगतान की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि समूहों का नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जिन विभागों द्वारा कम्पोस्ट की खरीदी की गयी है उन्हें भी जल्द भुगतान करने के लिए कहा। उन्होंने वन विभाग द्वारा निर्मित गौठानों में वर्मी पिट और शेड निर्माण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जहां भी गौठान में उक्त निर्माण कार्य लंबित है उसे जल्द पूरा कर लिया जाए ताकि वहां भी गोधन न्याय योजना प्रारम्भ की जा सके। जिसका लाभ आस पास के पशुपालक उठा सके।

कलेक्टर सिंह ने बैठक में निर्माण कार्य एजेंसीज के कामों की भी समीक्षा की। उन्होंने पीडब्लूडी विभाग को कोसमनारा रेलवे फाटक वाली सड़क के मरम्मत का काम जल्द पूरा करने के लिए कहा। इसके साथ ही उन्होंने अन्य सभी कार्यों को भी जल्द पूर्ण करने के लिए कहा। उन्होंने एडीबी के तहत किए जा रहे कार्यों के बारे में भी जानकारी ली। संबंधित एजेंसी के द्वारा काम में लेट-लतीफी पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई और जिले में चल रहे सभी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए तथा लापरवाही पर कार्यवाही करने की बात भी कही। हाउसिंग बोर्ड द्वारा अस्पताल भवनों के उन्नयन के काम की प्रगति की भी उन्होंने जानकारी ली। कार्यपालन अभियन्ता ने बताया कि खरसिया में ब्लड बैंक और लैब का काम कर लिया गया है। धरमजयगढ़ में ओटी का काम भी पूर्णता पर है। कलेक्टर सिंह सारे प्रगतिरत काम जल्द पूरा करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने इसके साथ ही धरमजयगढ़ में तैयार हो रहे मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल के लिये 4 विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती जल्द पूरी करने के लिए कहा। जिससे निर्माण कार्य पूरा होते ही वहां उपचार सुविधा मरीजों को मिल सके। उन्होंने हाट-बाजार क्लीनिक के नियमित संचालन करने के निर्देश दिए। साथ ही वहां सभी प्रकार की जांच व दवाईयां भी मरीजों को उपलब्ध करवाने के लिए कहा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में 24 डेडीकेटेड वाहन के साथ हाट-बाजार क्लीनिक योजना का संचालन किया जा रहा है। कलेक्टर सिंह ने बैठक में स्वामी आत्मानंद विद्यालयों के अंतर्गत संचालित हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के सभी विद्यार्थियों को विद्यालय की समस्त सुविधाओं का लाभ मिले यह सुनिश्चित करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए।

कलेक्टर सिंह ने धान के उठाव की समीक्षा करते हुए सभी केन्द्रों से उठाव 31 मार्च तक पूरा करने के लिए कहा। कलेक्टर सिंह ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए, जिन स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ियों में रनिंग वाटर सप्लाई का काम अपूर्ण उसे प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने तहसीलों में अविवादित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के प्रकरणों को भी समीक्षा की। जिन तहसीलों में प्रकरण लंबित हैं इसे जल्द निराकृत करवाने की जिम्मेदारी उन्होंने संबंधित एसडीएम को दी। कलेक्टर सिंह ने राजीव युवा मितान क्लब के गठन की कार्यवाही आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने वन अधिकार पत्र वितरण के संबंध में भी चर्चा की तथा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को जल्द कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने लोक सेवा गारंटी के तहत लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने जिन विभागों के प्रकरण लंबित है उसका निराकरण जल्द करने के निर्देश दिए।

बैठक में नगर निगम आयुक्त एस.जयवर्धन, सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल, डीएफओ रायगढ़ सुश्री स्टायलो मंडावी, डीएफओ धरमजयगढ़ अभिषेक जोगावत, अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

युवती का शारीरिक शोषण कर युवक ने घर से निकाला, सारंगढ़ पुलिस ने कुछ घंटों में आरोपी को किया गिरफ्तार

रायगढ़। युवती को शादी के मधुर स्वप्न दिखाकर करीब 03 माह तक उसका दैहिक शोषण कर आरोपित युवक द्वारा युवती को घर से निकाल दिया जिसके बाद असहाय युवती सारंगढ़ थाने में आकर अपनी आप बीती थाना प्रभारी सारंगढ़ निरीक्षक विवेक पाटले को बताई। महिला संबंधी अपराधों को गंभीरता पूर्वक लेने के पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा एवं एसडीओपी सारंगढ़ प्रभात कुमार पटेल से मिले निर्देशों पर टीआई विवेक पाटले द्वारा युवती को आरोपी पर शीघ्र कार्रवाई करने अश्वस्त कर युवती उसके लिखित आवेदन पर आरोपी युवक आशीष मिश्रा निवासी चन्द्रपुर के विरूद्ध धारा 376 IPC का अपराध दर्ज कर शीघ्र आरोपी पतासाजी गिरफ्तारी के लिये स्टाफ लेकर रवाना हुये और मात्र 2 घंटे के भीतर आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाया गया जिसे आज दिनांक 29.03.2022 को रिमांड बाद जेल वारंट पर उप जेल सारंगढ़ दाखिल किया गया।

पीड़ित युवती बताई कि टिमरलगा नाथल दाई मंदिर परिसर में आशीष मिश्रा प्रसाद दुकान लगाता है जिससे जान पहचान था। दिनांक 01.01.2022 को आशीष शादी कर पत्नि बनाऊंगा कहकर टिमरलगा में शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद से लगातार शारीरिक शोषण करता था, दिनांक 24.03.2022 को आशीष मिश्रा अपने घर चंद्रपुर ले जाकर रखा, जहां उसके माता-पिता झगड़ा विवाद किये फिर आशीष टिमरलगा ले आया जहां 27.03.2022 तक रखा था और उसी दिन शाम को शादी नहीं करूंगा कहकर झगडा कर निकाल कर कहीं भाग गया और मोबाईल को बंद कर दिया। युवती के रिपोर्ट पर सारंगढ़ पुलिस द्वारा आरोपी आशीष मिश्रा पिता कमलेश मिश्रा उम्र 22 साल निवासी चन्द्रपुर को दुष्कर्म के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी पतासाजी गिरफ्तारी में थाना प्रभारी सारंगढ़ विवेक पाटले के साथ सहायक उप निरीक्षक एल.पी.पुरी, आरक्षक गजानंद स्वर्णकार, महिला आरक्षक शारदा राठौर की सराहनीय भूमिका रही है।

पति के प्रताड़ना से नव विवाहिता ने फांसी लगाकर की थी आत्महत्या

❒ आत्महत्या के लिये उत्प्रेरित करने के अपराध में आरोपी पति गिरफ्तार

रायगढ़। थाना लैलूंगा के ग्राम गहनाझरिया रक्सेलखोल में रहने वाली बुधमती नगेशिया उसके पति कुवारूलाल नगेशिया के गाली गलौच, मारने पीटने की धमकी से इतनी परेशान हो गई थी कि उसने अपने 03 माह के बच्चे की परवाह किये बिना फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अपराध की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर लैलूंगा पुलिस द्वारा आरोपी युवक को आत्महत्या के लिये उत्प्रेरित करने के जुर्म में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार दिनांक 13/03/2022 को थाना लैलूंगा में ग्राम ग्राम गहनाझरिया रक्सेलखोल बुधमती नगेशिया पति कुवारू लाल नगेशिया उम्र 21 साल द्वारा अपने घर कमरे में फांसी लगाकर फौत हो जाने की रिपोर्ट उसके परिजनों द्वारा दर्ज कराया गया था। मृतिका नव विवाहिता होने पर शव पंचनामा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तहसीलदार लैलूंगा द्वारा किया गया। मर्ग जांच दौरान मृतिका बुधमती नगेशिया की मां पुण्यवती कालो, मृतिका के बडे बताये है कि दमाद कुवारूलाल नगेशिया पिता पुनऊ नगेशिया (उम्र 24 वर्ष) लडाई झगडा मारपीट करने का धमकी देकर परेशान करता था। मृतिका के वारिशान बताये कि दिसम्बर 2021 को बुधमती को बेटा हुआ है, करीब एक माह बाद बेटे के शरीर में फोडे (आलची) होने पर बुधमती अपने बेटे को ओड़िशा लेकर गई थी, जहां देशी एवं अस्पताल में ईलाज कराई। इस बीच कुवारूलाल नगेशिया, बुधमती को घर आयेगी को मारूंगा, पीटूंगा कहकर धमकी देता था। दिनांक 13.03.2022 को बुधमती अपने मां के साथ घर आयी थी। उसके मां के जाने के बाद बुधमति नगेशिया करीब 10/00 बजे घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। डाक्टर द्वारा मृतिका की मौत फांसी लगाकर आत्महत्या करने से होना लेख किए है। मृतिका बुधमती नगेशिया नवविवाहिता थी विवाह हुये एक वर्ष हुआ था जो कुवारूलाल नगेशिया के द्वारा आत्महत्या के लिये उत्प्रेरित करने का अपराध धारा 306 ताहि का घटित करना पाये जाने से आज दिनांक 29.03.2022 को आरोपी कुवारूलाल नगेशिया के विरूद्ध अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

दिसंबर माह में लापता हुई नाबालिग बालिका की दस्तयाब में पुसौर पुलिस को मिली सफलता

❒ नाबालिग को भगा ले जाने वाला आरोपी युवक गिरफ्तार

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा द्वारा थानों में गुम नाबालिक प्रकरणों की गंभीरता पूर्वक जांच पतासाजी के दिए गए निर्देशों पर पुसौर थानाक्षेत्र से माह दिसम्बर 2021 में लापता हुई नाबालिग बालिका को लगातार खोजबिन कर दस्तयाब करने में #पुसौर पुलिस को सफलता मिली है। बालिका को ग्राम नावाडीह, सारंगढ़ का युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया था, आरोपी को पुसौर पुलिस द्वारा पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार दिनांक 22.12.2021 को थाना पुसौर में नाबालिग बालिका (17 साल) के पिता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि बालिका दिनांक 20.12.2021 के दोपहर कपड़े लेकर नहाने गई थी, जो शाम तक वापस नहीं आयी जिसे अपने रिस्तेदार, जान परिचित में पता किये। बालिका का कहीं पता नहीं चलने पर थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराये। बालिका के पिता द्वारा बालिका के ग्राम नावाडीह सारंगढ़ के युवक चक्रधर चौहान से मोबाइल पर बातचीत करने की जानकारी दिया गया था।

पुसौर थाना प्रभारी उप निरीक्षक गिरधारी साव द्वारा लगातार बालिका एवं संदेही युवक की पतासाजी किया जा रहा था। संदेही युवक बालिका अन्यत्र लेकर फरार था जिस पर थाना प्रभारी पुसौर द्वारा अपने मुखबिरों एवं स्टाफ को बालिका एवं संदेही के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर शीघ्र अवगत कराने निर्देशित किया गया था। इसी बीच दिनांक 28.03.2022 को युवक के उसके गांव में देखे जाने की सूचना मुखबिर द्वारा उप निरीक्षक गिरधारी साव को दिया गया जिस पर बिना समय गंवाये थाना प्रभारी पुसौर महिला स्टाफ लेकर संदेही के सकुनत दबिश दिया गया। संदेही युवक चक्रधर चौहान के पास से बालिका को दस्तयाब किया गया। आरोपी युवक एवं बालिका को साथ लाया गया। बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन बाद मेडिकल कराया गया एवं प्रकरण में वैधानिक धारा 366,376 IPC एवं 4, 6 Pocso Act विस्तारित कर आरोपी चक्रधर चौहान पिता श्यामलाल चौहान उम्र 25 साल चौहान निवासी ग्राम नावाडीह थाना सारंगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, जहां से जेल वारंट पर आरोपी को जिला जेल रायगढ़ दाखिल कराया गया है।

22 लीटर महुआ शराब के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, बरमकेला पुलिस की शराब रेड कार्यवाई

रायगढ़। एसपी अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन एवं एसडीओपी सारंगढ़ प्रभात पटेल के मार्गदर्शन पर आज दिनांक 29.03.2022 के सुबह थाना प्रभारी बरमकेला निरीक्षक एल.पी. पटेल के नेतृत्व में बरमकेला स्टाफ द्वारा मुखबिर सूचना पर ग्राम डभरा में दो व्यक्तियों को 22 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ा गया है, दोनों आरोपी शराब को अवैध बिक्री के लिये लेकर जाना बताये।

दरअसल आज सुबह करीब 08.00 बजे थाना प्रभारी बरमकेला को मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम डभरा आंगनबाडी चौक में दो व्यक्ति अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल टीआई एल.पी. पटेल द्वारा देहात पेट्रोलिंग पर रवाना हुये स्टाफ को कार्यवाई का निर्देश दिया गया। स्टाफ द्वारा आंगनबाड़ी चौक पर जाकर रेड कार्यवाई किया गया। जहां दो व्यक्तियों को शराब बेचने के लिये दो 15-15 लीटर की जरकीन में महुआ शराब के साथ पकड़े गये। पूछताछ में आरोपी अपना नाम आरोपी (1)अशोक कुमार सिदार पिता स्व. गणेश राम सिदार उम्र 35 वर्ष (2) राहुल सिदार पिता जलंधर सिदार उम्र 19 वर्ष दोनों निवासी ग्राम डभरा थाना बरमकेला बताये जिनके कब्जे से महुआ शराब जुमला 22 लीटर कीमती 4,400 रूपये का जप्त किया गया। आरोपियों पर थाना बरमकेला में धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया, जहां जेल वारंट पर दोनों को जेल दाखिल कराया गया है।

शराब रेड कार्रवाई में थाना प्रभारी एल.पी. पटेल, प्रधान आरक्षक सोनसाय यादव, आरक्षक कन्हैया कुमार चौहान, गिरधारी लाल खड़िया, महिला आरक्षक अंजना मिंज शामिल थे।

होली के दिन घर घुसकर मारपीट करने वाला युवक गिरफ्तार

रायगढ़। दिनांक 18.03.2022 को होली के दिन धांगरडीपा रायगढ़ में घर के सामने कचरा फेंकने के विवाद पर अशोक यादव तथा संजय सारथी के घर के लोगों के बीच झगड़ा मारपीट हुआ था। दिनांक 18.03.2022 को कुमारी सारथी द्वारा दिये गये आवेदन पर अशोक यादव एवं अन्य पर गाली गलौच, मारपीट करने का अपराध दर्ज किया गया था। वहीं दिनांक 23.03.2022 को अशोक यादव द्वारा संजय सारथी और उसकी पत्नी कुमारी सारथी के विरूद्ध घर घुसकर गाली गलौच मारपीट करने का आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया जिस पर धारा 452, 294, 323, 506, 34 IPC के अंतर्गत दर्ज किया गया था। अपराध विवेचना दौरान आज दिनांक 29.03.2022 को आरोपी संजय सारथी पिता स्व0 किशनलाल यादव उम्र 35 वर्ष निवासी धांगरडीपा थाना कोतवाली रायगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

विधायक राठिया ने प्रदाय किया बालिकाओं को सरस्वती साइकिल

रायगढ़ । बालिका शिक्षा को नई दिशा देने और उनके बेहतरी के लिए धरमजयगढ़ विकासखण्ड के विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा नवमीं के छात्राओं को विधायक लालजीत सिंह राठिया ने सरस्वती सायकिल योजनान्तर्गत निःशुल्क सायकिल का वितरण किया। जिनमें शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय हाटी के 31 बालिका, हाई स्कूल सिथरा के 34, हाई स्कूल नरकालो के 19 एवं हाई स्कूल बोरो के 09 बालिकाओं को साइकिल प्रदाय किया गया।

विधायक लालजीत ने कहा कि सरस्वती सायकिल योजना उन बच्चों के लिए वरदान है जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है और आगे की पढ़ाई करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि ये सायकिल उन छात्राओं को दिया गया जो लम्बी दूरी पैदल चलकर अपनी भविष्य संवारने के लिए विद्यालय पहुंचती हैं। उन्होंने बताया कि अब बेटियां पैदल नही चलेंगी और आवागमन की तमाम समस्याओं से उन्हें छुटकारा मिल जाएगी। सायकिल मिलने की खुशी बच्चों के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। सायकिल के अभाव के कारण पढ़ने की लालसा होने के बावजूद नही पढ़ पाने की मलाल अब सरस्वती सायकिल योजना के कारण नही होगी। बेटियां अब उच्च शिक्षा ग्रहण कर अपनी भविष्य को सुखद एवं बेहतर बना सकेंगी। सरस्वती सायकल वितरण के अवसर पर रमेश अग्रवाल जनपद उपाध्यक्ष, तारा सिंह राठिया पूर्व अध्यक्ष अजजा, एस.आर.सिदार, रविशंकर सारथी के साथ सभी संस्था के संस्था प्रमुख, शिक्षक, व्याख्याता, जनभागीदारी सदस्य उपस्थित थे।

वनटाईम सेटलमेंट योजना से 280 वाहनों की हुई कर वसूली

रायगढ़ । छ.ग. शासन परिवहन विभाग द्वारा वन टाईम सेटलमेंट योजना के तहत अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2018 तक के बकाया वाहनों के 'ब्याज़Ó में छूट की योजना है। जिसमें परिवहन विभाग रायगढ़ द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार कर 280 बकायादारों से 2 करोड़ 80 लाख रुपये वसूली की गई। शेष 1396 बकायादारों को नोटिस एवं संपर्क कर अधिकाधिक वसूली हेतु प्रयास किया जा रहा है। ऐसे सभी बकाया वाहन स्वामियों से अपील है कि शासन की योजना का अधिक से अधिक लाभ लेवें इस योजना की अवधी 31 मार्च 2022 तक है।

जिला परिवहन अधिकारी, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए गए है कि कर जमा नहीं करने वाले वाहन स्वामियों की संपत्ति कुर्क कर बकाया कर की वसूली की जाये। जिसके तहत जिले के ऐसे 10 बड़े बकायादार शामिल है। जिनके समस्त वाहनों को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। इनमें अबीर कंस्ट्रक्शन प्रा.लिमिटेड, मेसर्स कोरोनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिडवानिया एक्जीम प्रा.लिमिटेड, करमजीत सिंह एण्ड कंपनी लिमिटेड, मंगत सिंग गाबा, कुलदीप सिंह गोछवाल, आरएसटी माईनिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स प्रा.लि., राजा राजेश्री कंस्ट्रक्शन, वैंकटेश लॉजिस्टिक्स एवं वराही एसोसियेट फर्म शामिल है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.डी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480